G-7 [handwritten initials]

अति आवश्यक

सं०WCD/DCPU(Kgr)–CCI-Dari-Vol-II-25/26-1045-1062
O/oजिला बाल संरक्षण अधिकारी
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

सेवा में

समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी
जिला कांगडा हि0प्र0।
दिनांकः 14/11/25 स्थानः धर्मशाला

विषयः Admission of children in Home for Locomotor Disabled. Children(Boys) Dari, Dharamshala.

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आप सभी के ध्यान में लाया जाता है कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रायोजित व हि0 प्र0 बाल कल्याण परिषद शिमला द्वारा संचालित अस्थि दोष गृह दाडी धर्मशाला में दिव्यांग बच्चों (लडको)के लिए उनकी 18 बर्ष की आयु पूर्ण होने या बारहवीं तक की शिक्षा पूर्ण होने तक निशुल्क आवास, शिक्षा व अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान की क्षमता 25 बच्चों के लिए है, परन्तु वर्तमान में यहां सिर्फ 4 बच्चे, इस संस्थान द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का फायदा ले रहे हैं जिनमें से सिर्फ एक बच्चा कांगड़ा जिले से संबंधित है।

03 नवम्बर 2025 को बाल विकास परियोजना अधिकारियों की मासिक बैठक में भी आग्रह किया गया था कि वे भी अपने–अपने परियोजना स्तर पर Locomotor Disabled **लडको की पहचान कर उन्हे** संस्थान द्वारा प्रदत्त सुविधाओं से जोडे । उक्त संस्थान में बच्चे संस्थान की क्षमता से बहुत ही कम है और जिला में ऐसे बहुत से बच्चे है जिन्हे इन सुविधाओं की आवश्यकता है। परन्तु अभी तक इस कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है।

माननीय उपायुक्त कांगड़ा द्वारा 10 नवम्बर को इस संस्थान का निरीक्षण किया गया और बच्चों की कम संख्या पर उन्होने असंतोष प्रकट किया और स्पष्ट आदेश दिए हैं कि सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी अपने अधीन पर्यवेक्षकों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से अपने क्षेत्र से संबंधित Locomotor Disabled (minimum 40%) जो निकट के विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चों का दाखिला दाड़ी स्थित संस्थान में करने का हर सम्भव प्रयास करें। इस संबंध में उन्होने 15 दिन के भीतर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

इस दिशानिर्देश के दृष्टिगत आप सभी से पुनः निवेदन है कि इस विषय पर व्यक्तिगत रूचि लेकर व पर्यवेक्षको व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समन्वय से अपने परियोजना के अन्तर्गत अस्थि दोष दिव्यांग Locomotor Disabled (minimum 40%) (लड़के) का

Scanned with OKEN Scanner

he School for Locomotor Disabled Children Dari में प्रवेश करवाने की कृपा करें। इन बच्चों को कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अतिरिक्त विभाग द्वारा ₹ 1350 रुपये का मासिक top up व त्योहार भत्ते भी दिए जाएंगे।अधिक जानकारी के लिए जिला बाल संरक्षण अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मशाला के दूरभाष नं0 9459062483 पर संपर्क करें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
कांगड़ा स्थित धर्मशला

प्रतिलिपि:– 1045-1062 Dt. 14-11-2025

1 माननीय जिलाधीश कांगडा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ प्रेषित है।

2 उप निदेशक,प्रारम्भिक व उच्च शिक्षा विभाग कांगडा स्थित धर्मशाला को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि जिले के विद्यालयों मे अध्यनरत अस्थि दोष दिव्यांग (Locomotor Disabled) लडको जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक है,का प्रवेश उपरोक्त अस्थि दोष गृह मे करवाने के लिए प्रेरित करें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
कांगडा स्थित धर्मशाला

Deputy Director of
School Education (Sec)
18 NOV 2025
Dispatch No. 14878-79
Kangra at Dharamshala

पृष्ठाकनः संख्याःशिक्षा–कांगडा –(Misc) 2024
कार्यालय उप शिक्षा निदेशक उच्च
कांगडा स्थित धर्मशाला।
दिनांक : धर्मशाला– 176215 17–11– 2025
प्रतिलिपि कड़ी अनुपालन के लिए अग्रेषित की जाती हैः–

01 समस्त सरकारी/निजी स्कूलों के प्रधानाचार्य/मुख्यध्यापक, जिला कांगडा को निर्देश दिए जाते हैं कि दिए गए पत्र मे निहित सभी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए अपने विद्यालय एवं आस–पास के Lockmotor Disabled (Minimum 40%) लड़कों की पहचान करें तथा उन्हें दाड़ी स्थित संस्थान में दाखिला करवाने का हर सम्भव प्रयास करें।

02 जिला कार्यक्रम अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ हेतु।

उप निदेशक स्कूल शिक्षा {माध्यमिक}
काँगड़ा स्थित धर्मशाला

Scanned with OKEN Scanner